जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 14.10.2024**

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध छुरा बरामदः-

आज दिनांक 14.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब/अवैध हथियार की बरामदगी/निर्माण/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रहीश पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला आर्यनगर कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 छुरा ।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पशु चोरी की 02 घटनाओं में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये पशुओं को बेच कर प्राप्त 75,000/- रुपये नगदी बरामदः-

आज दिनांक 14.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पशु चोरी की 02 घटनाओं में वांछित अभियुक्त को चोरी किये गये पशुओं को बेचकर प्राप्त 75,000/- रुपये नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त मुकर्रम व इस्लाम को दिनाँक 11.08.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

ज्ञात हो कि दिनांक 10.08.2024 को वादी श्री सतपाल पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम खेडी खुशनाम थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा घर मे बंधे पशु (भैंसा) को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले जाने व दिनांक 30.07.2024 को वादी श्री इन्तजार पुत्र जफरु निवासी भडी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा गांव के बाह की तरफ खुले बरामदे से अज्ञात चोर द्वारा भैंस चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अहसान पुत्र नूरहसन उर्फ नरुहसन निवासी मौहल्ला अफगानान खुर्द थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अहसान उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 317/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0स0 302/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 52/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

4.मु0अ0सं0 11/19 धारा 2/25 आयुद्ध अधिनियम थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

5.मु0अ0सं0 374/18 धारा 307 भादवि थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

6.मु0अ0सं0 373/18 धारा 392/411 भादवि थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

7.मु0अ0सं0 95/15 धारा 394 भादवि थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

8.मु0अ0सं0 40/15 धारा 380/457 भादवि थाना ननौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी के पशुओं को बेचकर प्राप्त नकदी 75,000/- रुपये।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-</u>

आज दिनांक 14.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.मुस्तफा पुत्र अख्तर निवासी ग्राम तितरवाड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-</u>

1.मु0अ0सं0 322/2019 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 20/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 44/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 362/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 14.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.चन्दर पुत्र गजे सिंह निवासी ग्राम अहमदगढ थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शस्त्र अधिनियम के मामले 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा व अर्थदंड से दण्डित किया गया:-</u>

1. वर्ष 2009 में अभियुक्त शकील पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला दरबार कलां थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 15/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 14.10.2024 को माननीय न्यायालय CJM कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्त उपरोक्त:-</u>

1.शकील पुत्र शरीफ निवासी मौहल्ला दरबार कलां थाना कैराना जनपद शामली।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>